समाहरणालय, अरवल।

(जिला परिवहन प्रशाखा)

—: आदेश :—

परिवहन विभाग, बिहार, पटना के सं0सं0–03/प्र0–बजट आवंटन (3055)–26/2018, पत्रांक–53, दिनांक–10.12.2018 द्वारा राज्य योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्श–2018–19 में परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालित "मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना" हेतु कुल–78,00,000.00 (अठहतर लाख) रू0 का स्वीकृत्यादेश प्राप्त है।

अरवल के सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को तत्काल् उनके नाम के सामने स्तंभ 4,5 एवं 6 द्वारा कुल–51,00,000.00 (एकावन लाख, **स्तंभ–7**) रू0 उपावंटित किया जाता है।

क्रम सं0	प्रखंड का नाम	चयनित लाभुक				मुख्य शीर्ष–3055 –सड़क परिवहन –उप मुख्य शीर्ष –00–लघु शीर्ष –199–अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता उप शीर्ष–0101–मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना विपत्र कोड–47–3055001990101 विषय शीर्ष–0101.33.01 सब्सिडी	मुख्य शीर्ष–3055 –सड़क परिवहन– उप मुख्यशीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना उप शीर्ष–0101–मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना विपत्र कोड–47–3055007890101 विषय शीर्ष–0101.33.01 सब्सिडी	मुख्य शीर्ष–3055–सड़क परिवहन–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–उपशीर्ष–0101–मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना विपत्र कोड–47–3055007960101 विषय शीर्ष–0101.33.01 सब्सिडी	कुल उप–आवंटित राशि
01	02	03				04	05	06	07
		EBC	SC	ST	Total				
1	अरवल	7	7	0	14	5,25,000.00	5,25,000.00		
2	कलेर	10	7	1	18	7,50,000.00	5,25,000.00	...	10,50,000.00
3	करपी	5	6	1	12	3,75,000.00	5,25,000.00	75,000.00	13,50,000.00
4	कुर्था	3	6	0	9	2,25,000.00	4,50,000.00	75,000.00	9,00,000.00
5	सोनभद्र बंशी	5	10	0	15	3,75,000.00	4,50,000.00	...	6,75,000.00
							7,50,000.00	...	11,25,000.00
	कुल–	**30**	**36**	**2**	**68**	**22,50,000.00**	**27,00,000.00**	**1,50,000.00**	**51,00,000.00**

शर्तें निम्नवत हैं :–

1. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 410, दिनांक–10.12.2018 के आलोक में वित्तीय वर्ष–2018–19 हेतु मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना हेतु निहित अनुदेश के अनुरूप राशि की निकासी प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
2. राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018–19 राज्य योजना मांग संख्या 47 से की जायेगी।
3. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–एम–4–05/98–2561 वि. (2), दिनांक–17.04.1998 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत है।
4. लाभुकों को आवंटित राशि का भुगतान प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या 823, **दिनांक–05.09.2018** के आलोक में पूरी छानबिन एवं आवश्यक जॉच के बाद किया जायेगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कोई भी छद्मपूर्ण या अनियमित भुगतान न हो। अनुदान की राशि लाभुक के खाते में अंतरित करने के पूर्व लाभुक से चयनित वाहन का निबंधन–पुस्त, बीमा से संबंधित कागजात एवं बिक्रय पत्र प्राप्त किये जायेंगे। यदि वाहन खरीदने हेतु किसी वित्त पोषण संस्था से ऋण लिया गया

हो तो इस आशय का स्वघोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि अनुदान की राशि का उपयोग वित्त पोषण करने वाली संस्था के ऋण भुगतान में किया जायेगा।

5. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उप शीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर हो एवं विपत्र कोड तथा मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
6. वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्ण पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण किया जा सके।
7. राशि निकासी एवं व्यय संबंधी प्रतिवेदन प्रत्येक माह 5 वीं तारीख को जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
8. आवंटित राशि का उपयोग होने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब उपलब्ध करा दिया जाय। राशि की निकासी से संबंधित टी0वी0 नं0, तिथि एवं कोषागार के नाम सहित विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
9. किसी प्रकार की गलत/अनियमित निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।
10. प्राप्त राशि–78,00,000.00 (अठहतर लाख) से प्रति लाभुक 75 हजार रू0 मात्र की दर से कुल मो0 51,00,000.00 (एकावन लाख) रू0, अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अन्तर्गत पंचायतवार, प्रखण्डवार तथा कोटिवार चयनित अभ्यर्थियों की अनुमोदित सूची के आधार पर उपावंटित किया जाता है।

जिला परिवहन प्र०प० आवास 20/12/018

20/12/2018
जिला पदाधिकारी,
अरवल।

ज्ञापांकः–......721....../ दिनांक–......20/12/2018

प्रतिलिपिः– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– जिला परिवहन पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– वरीय कोषागार पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अरवल को सूचनार्थ एवं इस आवंटन आदेश को अरवल की वेबसाईट पर अपलोड हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

20/12/18
जिला पदाधिकारी,
अरवल।

जिला परिवहन प्र०प०
आवास
20/12/018